—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 80/2018

उनवान

नाथू पुत्र काना समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम देराठू नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 18.2.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के वंर्किग खसरा नम्बर 3095 रकबा 1—10—0 के हाल खसरा नम्बर 4108 रकबा 0.21 व 1431 रकबा 0.07 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी वादी के पूर्वज धन्ना के नाम दर्ज थी। बंदोबस्त विभाग द्वारा आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। पी 14 में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज चली आ रही है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 4108 के वंर्किग खसरा नम्बर 3092 है ना कि 3095 हाल खसरा नम्बर 4108 व 4131 सिवायचक दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 4131 में गत खसरा नम्बर 3095 का 0.07 रकबा ही मिलान श्रेत्रफल के अनुसार दर्शाया गया है, शेष रकबा गत खसरा नम्बर 3134 का है। जिनके साक्ष्य में नवीन व गत नक्शा शीट की प्रति सलंग्न नही है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 3044 का नामानतकरण पेश किया है। वाद निरस्त किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है ?
—— वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?
—— वादी
3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वादीगण व राज. पैराकार की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तनकी संख्या 1:–

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया है कि वंर्किग खसरा नम्बर 3095 रकबा 1–10–0 के हाल खसरा नम्बर 4108 रकबा 0.1 व 4131 रकबा 0.07 वादी की पुश्तैनी खातेदारी की हैं। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान श्रेत्रफल के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 4130 व 4131 बने है। हाल खसरा नम्बर 4108 के वंर्किग खसरा नमबर 3095 नही होकर 3092 है। वंर्किग खसरा नम्बर 3095 व 3092 कभी भी वादी अथवा उसके पूर्वज की खातेदारी में नही थे। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 330 अनुसार वंर्किग खसरा नमबर 3044 मिन रकबा 1–10–0 उसके पिता काना पुत्र चतरा के नाम था। उक्त वंर्किग खसरा नम्बर व वाद में अंकित हाल खसरा नम्बर का मिलान नही होता है। आराजी मुतनाजा चौसाला, वंर्किग तथ हाल राजस्व अभिलेख में वादी/पूर्वज की खातेदारी में अंकित नही है। आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी खातेदारी की सिद्व नही होती है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी सिद्व नही होती है। वादी ने उक्त आराजी उनके पिता को आवंटित होने का कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नही किया है। वादग्रस्त आराजी के आवंटन अथवा खातेदारी के कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेश नही किये है। चौसाला जमाबंदी व वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा वादी अथवा उसके पिता के नाम खातेदारी अंकित नही हैं। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि विधिवत रूप से सिवायचक अंकित है। वादी द्वारा आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्व करने के लिये जो खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील पेश की है, उनमें भी वादी/पिता अतिकमी की हैसियत से यदा–कदा काबिज है। वादीगण का उक्त आराजी पर कदीमी कब्जा सिद्व नही होता है। सिवायचक आराजी पर खण्डित कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। साक्ष्य व दस्तावेज के अभाव में आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4108 रकबा 0.21 व 4131 रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नाथू बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188. 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 80/2018
पेश करने की दिनांक – 02.07.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 4108 रकबा 0.21 व 4131 रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:56 IST
Reason: SelfAttested